राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1509/2014/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्त द्वितीय, भिवाड़ी। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विमोनी इण्डिया प्रा.लि.,
भिवाड़ी। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
विवेक सिंघल,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25/10/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 82/RVAT/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त विशेष वृत्त–भिवाड़ी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 18(2),33 एवं 61 (2)तहत् आरोपित शास्ति रूपये 30,50,680/– को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी का वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दिनांकः 25.3.2010 को पारित किया गया जिसमें व्यवसायी द्वारा मैसर्स सूर्या ट्रेडर्स एवं मैसर्स संगीता ट्रेडर्स से खरीदे गये माल पर क्रमशः रूपये 7,94,562/– एवं रूपये 7,30,778/– का आगत कर क्लेम किया गया था। किन्तु उक्त आगत कर क्लेम का सत्यापन नहीं होने के कारण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के उक्त आगत कर क्लेम को स्वीकार नहीं किया गया एवं कम जमा राशि पर केवल ब्याज आरोपित किया गया तथा व्यवसायी द्वारा गलत क्लेम की गई आई.टी.सी. पर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण की कार्यवाही स्थगित रखी गई। तत्पश्चात् सत्यापन कराने पर मैसर्स सूर्या ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन प्रमाण –पत्र वर्ष 2007–08 में निरस्त होने एवं उक्त व्यवसायी के लापता होने की सूचना प्राप्त होने तथा मैसर्स संगीता ट्रेडर्स द्वारा विभाग में वैट –09 प्रस्तुत नहीं करने एवं कर राशि जमा नहीं कराने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांकः 7–06–2013 को अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस दिनांकः 17–06–13 के लिये जारी किया गया। नोटिस की पालना में

निरन्तर.....2

व्यवसायी की ओर से दिनांक 20–06–2013 प्रस्तुत किये गये जवाब को सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाकर अधिनियम की धारा 18(2), 33 एवं 61 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए व्यवसायी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 61(2) के अन्तर्गत शास्ति रू0: 30,50,680/– आरोपित करके कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.06.2013 को पारित किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 31.01.2014 द्वारा कायम मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक बताते हुए, सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी का वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2010 को पारित करते समय उक्त दोनों फर्मो से आगत कर का सत्यापन नहीं मांगते हुए कर व ब्याज आरोपित कर दिया तथा शास्ति की कार्यवाही वाद सत्यापन करने हेतू स्थगित कर दी गई। व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसायी के विरूद्ध बाद में आगत कर का क्लेम सत्यापित नहीं होने के कारण कारण बताओं नोटिस अधिनियम की धारा 26. 55 व 61 अन्तर्गत दिनांक 17.06.2013 के लिये जारी किया था। जिसका जवाब व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 20.06.2017 का प्रस्तुत किया, जिसे सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है। कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.06.2013 के द्वारा धारा 61 के तहत गलतः ITC क्लेम किये जाने के कारण शास्ति रू 30,50,680/– आरोपित कर दी गई है।

7. व्यवसायी प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें जो धारा 26 का नोटिस दिया गया है। वह अवधिपार (Timebarred) है। क्योंकि वर्ष 2007–2008 के लिये धारा 26 में नोटिस 5 वर्ष के भीतर जारी किया जाना आवश्यक था अर्थात 31.03.2013 तक ही सम्मन जारी किया जा सकता हैं जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा सम्मन प्रथम बार दिनांक 07.06.2013 को जारी किया गया है, जो स्वतः ही अवधिपार (Timebarred) है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानुसार शास्ति एवं ब्याज आरोपण की कार्यवाही सम्बंधित वर्ष के पारित कर निर्धारण आदेश अथवा संशोधन आदेश की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर ही की जा सकती है। जबकि इस प्रकरण में वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2010 को

निरन्तर.....3

पारित किया एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपण की कार्यवाही आदेश दिनांक 24.06.2013 के द्वारा की गई जो निर्धारित समयावधि के बाद होने से अवधि पार है यद्यपि यह सही है कि उक्त दोंनों मामलों में मैसर्स संगीता ट्रेडर्स जयपुर एवं मैसर्स सूर्या ट्रेडर्स के द्वारा देय कर राजकोष जमा नहीं करवाया गया है। अतः इनके द्वारा जारी बिलों द्वारा क्लेम किया गया है। आगत कर अस्वीकार किया जाना सही है,शास्ति का आरोपण धारा 26 में निर्धारित समयावधि के भीतर नोटिस नहीं देने के कारण विधिसम्मत नहीं है तथा ब्याज भी मूल वाणिज्यक कर अधिकारी के मूल आदेश में ही आरोपित कर दिया गया हैं।

8. शास्ति के बिन्दु पर **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स के प्रकरण में एवं माननीय राजस्थान उच्चतम् न्यायालय द्वारा मैसर्स दुर्गेश्वरी प्रा.लि.** के प्रकरण में दिये गये यह अवधारित किया गया है। कि जब क्रय विक्रय स्वयंव्यवहार छुपाए नहीं गये हो तब शास्ति आरोपण की कार्यवाही किया जाना अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61(2) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण को अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत मियाद बाहर होना मानकर विधिसम्मत नहीं माना है। यह पीठ अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष से सहमत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया विवादित दिनांक 24.06.2013 पुर्णतया अविधिक एवं कालातित आदेश है जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की हैं। अतः अपीलीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2013 यथावत् रखे जाने योग्य है, तथा विभाग/राजस्व की अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है।

9. फलतः अपीलीय आदेश दिनांक 24.06.2013 को यथावत रखा जाता है एवं विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

25/10/18

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य